

राजस्थान वित्त निगम, (सतर्कता अनुभाग)
मुख्यालय, जयपुर

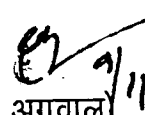
क्रमांक आरएफसी / पीजी-1(222) / 78-95

दिनांक 09 नवंबर, 06

परिपत्र

विषय: जन अभियोगों के त्वरित गति से निस्तारण बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत जन अभियोग निराकरण विभाग के परिपत्र क्रमांक प 4(8) आरपीजी / एस / एफ / 05, दिनांक 19 सितंबर, 2006 की प्रति इस परिपत्र के पिछले भाग में अंकित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त क्षेत्रीय व शाखा कार्यालय में पदस्थापित अधिकारीगण परिपत्र में उल्लेखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ताकि जन सामान्य को उच्च अधिकारियों / मंत्रियों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े !


 (एस के अग्रवाल)
 कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि:

समस्त शाखा प्रबंधक / क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक

अति आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.न(8)आरपीजी/एएस/एफ/05

जयपुर, दिनांक 19.9.2006

परिपत्र

विषय:- जन अभियोगों के त्वरित गति से निस्तारण यायदाद।

राज्य सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना आम जनता की शिकायतों के शीघ्र निराकरण करने हेतु की गई है। राज्य सरकार द्वारा पाया गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आम आदमी से प्राप्त होने वाले परिवारों की प्राप्ति सूचना परिवारों को नहीं दी जाती है और ना ही परिवारों का यथा समय निस्तारण किया जाता है जिससे परिवारों अपने परिवार के निस्तारण के लिये मुख्य सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदयों को बार-बार आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

अतः यह सुनिश्चित करने का श्रम करावे कि परिवारों को परिवार प्राप्त होने की सूचना तुरन्त दी जावे। तथा प्राप्त परिवारों पर नियमानुसार कार्यवाही कर निश्चित समय सीमा में परिवार का निस्तारण किया जावे ताकि आम आदमी को उच्चाधिकारियों/मंत्रियों के अनावश्यक दबकर नहीं लगाने पड़ें।

(बी. डी. शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रागरत प्रमुख/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
2. रागरत विभागाध्यक्ष, राजस्थान राज्य।
3. रागरत जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य।

(बी. डी. शर्मा)
शासन उप सचिव